राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

केन्द्रीय कार्यशाला......................

दिनांक– .... को होने वाली खुली <u>नीलामी के नियम एवं शर्ते</u>

1. नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू0 10,000/– (दस हजार मात्र) अनुपयोगी सामग्री पाट्र्स के लिए एवं रू0 20,000/– (बीस हजार मात्र) अनुपयोगी वाहनों के लिए नकद बतौर अमानत राशि मौके पर ही जमा कराने होगें।
2. अमानत राशि नीलामी में भाग लेने वाले सभी सफल व असफल व्यक्ति/उम्मीदवारों को नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात उन्हे प्रदत्त की गई रसीद प्रस्तुत करने पर लौटा दी जावेगी। नीलामी के मध्य में अमानत राशि नहीं लौटाई जायेगी।
3. जिस व्यक्ति की उच्चतम बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी समय रूपये 1,00,000/– के अनुमानित मूल्य के माल के लिए अनुमानित मूल्य की 20% तथा 5,00,000/– तक अनुमानित मूल्य के माल की दशा में 10% राशि जमा करानी होगी, 5,00,000/– से अधिक मूल्य के माल की दशा में अनुमानित मूल्य का 5% जमा कराना होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि जप्त करली जावेगी। यदि कोई व्यक्ति माल की सम्पूर्ण राशि जमा कराना चाहे तो स्वीकार की जावेगी।
4. सफल व्यक्ति को जो माल उसके द्वारा खरीदा गया है का पूर्ण भुगतान निम्नानुसार जमा कराना होगा।
   - (i) अनुमानित मूल्य 1,00,000/–रूपये होने पर नीलामी तारीख से प्रथम 10 दिवस में बिना ब्याज तथा अगले 10 दिवस में 15% ब्याज की दर से जमा कराना होगा।
   - (ii) वाहनों के अतिरिक्त सामान का अनुमानित मूल्य 1,00,000/– से अधिक होने पर नीलामी तारीख से 15 दिवस बिना ब्याज व अगले 10 दिवस में 15% ब्याज की दर से जमा कराना होगा।
   - (iii) **वाहनों के मामले में** फर्म को नीलामी के अगले दिन से प्रत्येक दिन एक वाहन की अर्थात 10 दिवस में 10 वाहनों के गुणक में राशि जमा करानी होगी व अगले 10 दिवस में 15% ब्याज की दर से जमा करानी होगी तथा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करानेपर जमानत राशि जप्त की जावेगी। नीलामी के अगले दिन से एक वाहन प्रति दिन उठानी होगी अर्थात 10 दिवस में कम से कम 10 वाहने उठानी होगी और इसी गुणक में नीलामी में विक्रय किये गये अन्य लॉट के वाहन उठाने होगें।
   - (iv) **वाहनों के मामले में** जमीन किराया प्रति वाहन 10 दिवस में 10 वाहन नहीं उठाये जाने पर 200/– प्रति वाहन प्रति दिवस अगले 10 दिवस तक लिया जावेगा अन्यथा जमानत राशि जप्त करली जावेगी।
   - (v) वाहनों के अतिरिक्त मामले में नीलामी के 40 दिवस में पूर्ण माल उठाना होगा अन्यथा इच्छूक व्यक्ति से 200/– प्रति दिन जमीन का किराया अगले 10 दिवस तक लिया जावेगा। अन्य सामान के लिए इच्छुक व्यक्ति को माल उठाने के लिए मय जमीन किराये के नीलामी दिनांक से 50 दिवस स्वीकृत हैं यदि इस अवधि में व्यक्ति/फर्म माल उठाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए जमा कराई गई राशि पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा ना ही भविष्य में इस पर उसके किसी दावे पर विचार किया जायेगा। उसके द्वारा जमा राशि निगम हित में जप्त करली जावेगी।
   - (vi) सामान्यतः किसी भी लॉट की पार्ट डिलीवरी नहीं दी जावेगी केवल मात्र बडे लॉट जिसमें माल की मात्रा इतनी अधिक हो की एक बार में सम्पूर्ण माल उठाना सम्भव ना हो तब ही पार्ट डिलीवरी दी जावेगी।

पार्ट डिलीवरी की स्थिति में रिलीज आर्डर मे अंकित मात्रा से अधिक शेष बचे हुए माल का अनुमानित मूल्य 50,000/–रू0 तक हो तो मूल्य का 20% तथा 50,000/– से अधिक होने की दशा में प्रथम 50,000/– तक 20% तथा आगे शेष राशि पर 10% राशि अग्रिम जमा के रूप में निगम कोष में जमा रखी जावेगी।

5. यदि इच्छुक व्यक्ति शर्त नं0 4 के अनुसार निर्धारित समय में रकम जमा कराने में/माल उठाने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई राशि एवं खरीद किये माल पर कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निगम माल के अन्यत्र बिक्री के लिए स्वतंत्र होगा।
6. जो सामान विक्रय किया जा रहा है उसकी सूची संलग्न है।
7. प्रत्येक सामान की मात्रा उसके आगे अंकित की गई है। जैसे एक लॉट टन, नग इत्यादि। सफल व्यक्ति को सम्पूर्ण माल उठाना होगा। सामान की मात्रा अनुमानित है। इसमें कमी पाये जाने पर निगम पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, परन्तु खरीददार पक्ष पूरा ढेर लॉट उठाने के लिए बाध्य है। अनुमानित वजन से अधिक माल निकलने पर खरीददार पक्ष को अधिक वजन की रकम निगम कोष मे जमा करानी होगी। यदि वजन अनुमानित वजन जिसके लिए क्रेता पक्ष ने रकम जमा कराई है कम होता है, तो रकम क्रेता पक्ष को लौटा दी जायेगी।
8. क्रेता पक्ष को माल जहॉ है उस स्थिति में उठाना होगा।
9. अलोह धातु के सामान के विक्रय किये जाने पर लोहा अलग करके दिया जावेगा। लोहा अलग करवाने की जिम्मेदारी क्रेता पक्ष की होगी।
10. समस्त विवादों का न्यायिक क्षैत्र ....होगा।
11. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को बिना कारण बताये किसी लॉट अथवा माल की उच्चतम स्वीकार बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. विक्रय कर नियमानुसार अलग से लिया जावेगा जो माल निगम द्वारा नीलामी में विक्रय किया जाता है उसके विक्रय दर की कर व राशि के लिए अगर विक्रय कर विभाग द्वारा कोई एतराज अथवा पैनल्टी लगाई गई तो उसके लिय क्रेता पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
13. जिस किसी व्यक्ति /फर्म को माल स्वीकृत किया जाता है। उसके स्वयं अथवा उसके द्वारा आर.एस.टी. लेटरपेड पर लिखित निवेदन करने पर उसके स्वयं की जवाबदारी पर उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर क्रेता द्वारा प्रमाणित हो, को माल की सुपर्दगी दी जा सकती है।
14. नीलामी मे भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को इस बात की स्वीकृति देनी होगी कि उसके द्वारा नीलामी के नियम व शर्ते पढली हैं तथा उसे पूरी स्वीकार है।
15. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद के लिए प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम पंच होगें उनका निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।
16. क्रेता के पक्ष में स्वीकृत माल की शेष राशि को नगद कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 14.00 बजे तक जमा कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुख्य उत्पादन प्रबन्धक के नाम क्रोस बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जा सकता है।
17. खरीद दार द्वारा माल उठाने की सूचना दो दिवस पूर्व लिखित में देनी आवश्यक होगी तथा जहॉ तक संभव हो माल सांय 4.00 बजे तक उठाना होगा।
18. रकम जमा कराने / माल उठाने के अंतिम दिन कार्यालय अवकाश होने पर अंतिम दिन अगला कार्य दिवस माना जावेगा।
19. यदि विक्रय किये जाने वाले माल की तादात 2 टन अथवा इससे कम होगी, उसे कार्यशाला कांटे पर ही जहॉ तक सम्भव होगा तोल कर दिया जावेगा।
20. नीलामी निश्चित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे होगी।

21. ....
....
....

22. ....
....
....

23. ....
....
....

24. ....
....
....

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/
मुख्य निष्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला,